Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post/Camp Bag

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं0.481/पत्र/भा.नि.आ./प्रकार्या./पीई-द्विवार्षिक/2017

दिनांक: 14 जून, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन - दस्तावेजों की प्रस्तुति एवं निरीक्षण - निदेशन।

महोदय,

मुझे, राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 37(2) के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी..........जून, 2017 के निदेशों की एक प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्द्वारा प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव

सं0.481/पत्र/भा.नि.आ./प्रकार्या./पीई-द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 14 जून, 2017

पूर्व पृष्ठ पर संदर्भित नि□देशों की एक प्रति सहित यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. राष्ट्रपतीय नि□र्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं महा-सचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपतीय नि□र्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारीगण (मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से)।
3. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. भारत के प्रधानमंत्री के सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, भारत सरकार, गृह कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव

Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post/Camp Bag

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

सं0.481/पत्र/भा.नि.आ./प्रकार्या./पीई-द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 14 जून, 2017

निदेश

राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 37 के उप नियम (2) में यह उपबंधित है कि मत पत्रों के पैकेट, चाहे वे विधिमान्य हों अथवा अस्वीकृत और उनके प्रतिपर्ण और नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूची रखने वाले पैकेटों को छोड़कर, निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कागजात, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे शुल्क के भुगतान पर, यदि कोई हो, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ पठित उक्त उप-नियम (2) के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि:-

(1) **निरीक्षण:**

(क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित में करना होगा और उसमें उस रिकार्ड से संबंधित विवरण अंतर्विष्ट होगा, जिसके लिए निरीक्षण अपेक्षित है ।

(ख) किसी दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को, निरीक्षण के प्रति घंटे अथवा उसके भाग के लिए 5/- रुपए का भुगतान करने पर निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी (बशर्ते निरीक्षण तुरंत किया जाना अपेक्षित नहीं हो, तुरंत निरीक्षण किए जाने पर शुल्क प्रति घंटे अथवा उसके भाग के लिए 10/- रुपए होगा)। निरीक्षण के लिए शुल्क **"0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि ख-निर्वाचन-शुल्क, जुर्माना और जब्ती"** शीर्ष में जमा किया जाएगा।

(ग) किसी साधारण आवेदन पर, आवेदन किए जाने वाले दिन के ठीक बाद वाले दिन या किसी पश्चवर्ती दिन को निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी तथा अत्यावश्यक आवेदन पर निरीक्षण की अनुमति ठीक उसी दिन दी जाएगी।

(2) **प्रमाणित प्रति:** उक्त दस्तावेजों में से किसी की प्रमाणित प्रति, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर भुगतान के आधार पर दी जाएगी, जैसा कि किसी राज्य में राजस्व अधिकारी द्वारा किसी आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रभारित किया जाता है। किसी आवेदन के संदर्भ में पालन की जाने वाली प्रक्रिया ठीक

वैसी ही होगी, जैसी कि राजस्व अधिकारी के द्वारा निपटाए जाने वाले किसी मामले के संदर्भ में इसी प्रकार के आवेदन में पालन की जाती है। कापी कराने का प्रभार उपर्युक्त संदर्भित लेखा शीर्ष में जमा किया जाएगा।

(3) आधिकारिक प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज के निरीक्षण अथवा प्रमाणित प्रति की अपेक्षा होने की स्थिति में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आदेश से,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव